



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1036

मद/For Item : सात तरह के रबड़ सीलिंग रिंग्स /
Rubber Sealing Rings – Seven Types

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स सुजन इंडस्ट्रीज़, मुंबई - 400 093 द्वारा विकसित और उत्पादित “ सात तरह के रबड़ सीलिंग रिंग्स” पार्ट सं. अनुलग्नक-I के अनुसार जो कि एसइएन-1683(टी ए सं. 806) इंडिजीनस रबड़ कम्पाउंड से विकसित हुआ है, आर 11/ आर 25 अनुक्रम इंजन्स के मेन, रीहीट और अडिशनल रीहीट पम्पस में काम आता है, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.म(कोरापुट) सूनाबेदा - 763 002 के समन्वय से टेस्ट विनिर्देश संख्या टीएस/507-2001दिनांक 27 दिसम्बर 2001 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ‘ए’ में संलग्न “वर्गरिकार्ड कंप्लायन्स स्टेटमेन्ट” में विवरित विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

*This is to certify that the “Rubber Sealing Rings-Seven Types” made out of indigenous rubber compound SEN-1683 (TA No. 806) bearing part Nos. as per Annexure-1, developed and manufactured by M/s Sujan Industries, 77, Mistry Industrial Complex, MIDC Cross Road ‘A’, Andheri(E), Mumbai-400 093, are hereby approved for production for use in Main, Reheat & additional Reheat pumps of R11/R25 series engines. These have been tested to test schedule No. TS/507-2001 Dated 27-12-2001, in co-ordination with **RCMA(Koraput)**, Sunabeda-763 002. These have met the requirements of specification/tests, as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix-‘A’.*

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है ।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

4. यह वर्ग अनुमोदन **30 जून 2009** तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(कोरापुट) से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid upto 30th June 2009 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA(Koraput) for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी ।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1036

दिनांक/Date : 17 जून 2004

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

J.K. Sharma
17/6/04
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)

9/6/04